181

संख्याः– 175/XXVI/एक (15)/2010

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 29 सितम्बर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों पर व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 के कम में शासन के पत्र सं0–74/XXVI/एक (15)/2010 दिनांक 4 मई, 2011 एवं पत्र सं0–110/XXVI/एक (15)/2010 दिनांक 11 जुलाई, 2011 द्वारा त्रैमासिक आधार पर निर्गत धनराशि के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य योजना आयोग के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03 नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि ₹1231 हजार (₹ बारह लाख इकतीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष भर का कुल व्ययभार उक्त स्वीकृत धनराशि से अनाधिक रहेगा तथा व्यय की फेजिंग त्रैमास के अनुसार इस प्रकार की जाएगी कि त्रैमासवार व्यय तदनुसार निर्धारित अनुमान से अनाधिक ही रहे।

2– वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 की नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुअल एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली सहित मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर लिया जाए।

5– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण यथासमय बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

6– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03 नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–175(1)/XXVI/एक (15)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 शाही)
अनुसचिव।